

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2021—पौष 14, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2021

क्र. एफ 3-6 2020-एक (1)-37.—मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम के नियम 4 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित मंत्री के प्रभार में उनके नाम के सामने दिए गए विभाग और / या विभाग की कार्य सूची के विषय सौंपते हैं:—

स. क्र. (1)	मंत्री का नाम (2)	सौंपे गए विभाग और / या विभाग की कार्य सूची के विषय (3)
01.	श्री तुलसीराम सिलावट	जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास
02.	श्री गोविंद सिंह, राजपूत	राजस्व, परिवहन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2021

क्र. एफ 3-6-2020-एक (1)-38—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-6-2020-एक (1)-37, दिनांक 4 जनवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 4th January 2021

No. F 3-6-2020-ONE(1)-37.—In pursuance of Rule 4 of the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to assign the charge to the following Ministers, of the Department(s) and / or the item(s) of business in a department(s) shown against their names:—

S. No. (1)	Name of the Minister (2)	Department(s) and / or item(s) of business in the department assigned (3)
01.	Shri Tulsiram Silawat	Water Resources, Fishermen Welfare and Fisheries Development.
02.	Shri Govind Singh Rajput	Revenue, Transport.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VINOD KUMAR, Additional Chief Secy.